असंगठित श्रमिकों के लिए पंजीकृत फार्म

जो व्यक्ति निम्नलिखित योजनाओं में पंजीकृत है, **कृपया वे इस फार्म को न भरें।**

1. परिवार पहचान पत्र
2. हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में पंजीकृत
3. पीला/गुलाबी/हरा/खाकी इत्यादि किसी भी रंग का राशन कार्ड
4. हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत

नाम..... **पिता का नाम** .....

आधार नंबर

मोबाईल नंबर

जन्म तिथि (दिन/महीना/साल) ..... **हरियाणा में जिला**.....

खण्ड/कस्बा..... **वार्ड/गांव**.....

मोहल्ला/क्षेत्र..... **पता**.....

बैंक आईएफएससी ..... **खाता संख्या**.....

मासिक आय.....

व्यवसाय (नीचे दिए गए किसी एक को चुने).....

फेरी वाला (1)	औद्योगिक संस्थान में श्रमिक (2)	रिक्षा चालक (3)	घरेलू कामगार (4)	ढाबा/रेस्तरां में श्रमिक (5)	सुरक्षा कर्मी (6)	आटो रिक्षा चालक (7)	कोई अन्य (8)

कार्य स्थल

सैक्टर/मोहल्ला..... शहर/गांव.....

औद्योगिक परिसर का नाम (क.स. 2,4,5,6 हेतू)..... हरियाणा में जिला.....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

अनुषंसित द्वारा:–

मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि मैं उपरोक्त व्यक्ति को जानता हूं और उसके द्वारा प्रस्तुत विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं और मुझे पता है कि यदि मैं सहायता के लिए गलत दावा प्रपत्र प्रस्तुत करता हूं, तो मैं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 52 के तहत मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार रहुंगा।

नाम..... पता .....

मोबाइल नंबर.....

सरपंच/पंच/पार्षद/निगम सदस्य/ जिलापरिषद सदस्य/ ब्लॉक समिति सदस्य/ सरकारी अधिकारीः ग्रुप 'ए' या 'बी' द्वारा अनुषंसा होनी चाहिए।

नोटः झूठे दावे के लिए दंड– जो कोई भी जानबूझकर ऐसा दावा करता है, जिसे वह जानता है या किसी राहत, सहायता, शरण, बदलना या अन्य लाभों को प्राप्त करने के लिए झूठे होने का कारण है, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी से आपदा के परिणामस्वरूप होता है, दोषी पाए जाने पर दंडित हो सकता है तथा जुर्माना सहित ऐसे दंड के साथ दो साल तक की कैद भी हो सकती है।